दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम हुकम की तामी में जारी हुए
28/6/17	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी पैरोकार तहसीलदार शिव उप0। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना। प्रार्थी ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 169, 263/170, 262/107, 264/176 व 266/176 कुल रकबा 94.02 बीघा ग्राम देवका तह0 शिव में अवस्थित है। खसरा नम्बर 262/107 मूल खसरा नम्बर 107 रकबा 25.06 बीघा मे से विभक्त होकर बना है, जिसके खातेदार डूंगरा एवं प्रार्थी के पिता नखतू थे। उक्त खसरा नम्बर 107 का विभाजन होने पर डूंगरा के हिस्से मे आई 12.13 बीघा भूमि का खसरा नम्बर 107 रहा तथा प्रार्थी के पिता के हिस्से मे आई 13.00 बीघा का खसरा नम्बर 262/107 कायम हुआ। यह स्थिति ग्राम देवका की खतौनी संम्वत् 2066 से 2069 में थी, किन्तु संवत् 2070 से 2073 की खतौनी तैयार करने के दौरान भूलवश उक्त खसरा नम्बर 262/107 का खसरा नखत् वल्द सांगा की खातेदारी मे दर्ज नहीं कर अन्य खातेदार कानगर वल्द लूणगर के खाते मे दर्ज कर दिया। जिसका कोई वेद्यानिक आधार नहीं था। प्रार्थी सहित नखतू के अन्य वारिसान का ही उक्त खसरे की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बर 262/107 की भूमि का इन्द्राज नखतू के वारिसान के खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध मे विप्रार्थी पैरोकार तहसीलदार शिव ने उपस्थित होकर जवाब आवेदन प्रस्तुत किया। विप्रार्थी ने अपने जवाब आवेदन मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यो को स्वीकार किया है तथा अपने जवाब मे अंकित किया कि खसरा नम्बर 262/107 की प्रविष्टि जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 मे रकबा 13 बीघा प्रार्थी के खातेदारी में सही दर्ज है सवत् 2070 से 2073 की जमाबंदी तैयार करते समय प्रार्थी की खसरा नम्बर 262/107 रकबा 13 बीघा का इन्द्राज लिपिकीय भूल से कानगर वल्द लूणगर कौम स्वामी के नाम दर्ज हो गयी। जिसे प्रार्थी के नाम दुरस्त किये जाने मे विप्रार्थी को कोई आपति नही है। प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य मे देवका के खेत खसरा नम्बर 157, 254/88, 255/123 व 256/145 कुल रकबा 26.13 बीघा की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073, मौजा देवका की खसरा नम्बर 169, 263/170, 264/176 व 266/176 की जामांबदी संवत् जिसमें डूगरा व नखतूराम द्वारा विभाजन करवाये जाने पर खसरा नम्बर 262/107 नखतूराम के नाम पृथक हुआ, प्रस्तुत किये है। हमने प्रार्थी वकील को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मूलतः खसरा नम्बर 262/107 की प्रविष्टि जो नखतूराम केन नाम संवत् 2066 से 2069 की जमांबदी में अंकित थी, जो संवत् 2070 से 2073 की जमाबंदी तैयार करने के दौरान प्रार्थी के नाम विवादित भूमि दर्ज करने के बजाय उसी ग्राम के अन्य खातेदार कानगर पुत्र लुगागर की खातेदारी में दर्ज कर दी। इय प्रकार यह प्रकरण केवल रेकर्ड दुरस्ती का है। इस प्रकार प्रार्थी अपने सहखातेदार के साथ उक्त खसरा नम्बर 262/107 रकबा 13.00 बीघा भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। ग्राम देवका की जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 की जमाबंदी में खसरा नम्बर 262/107 रकबा 13.00 बीघा भूमि प्रार्थी के परिजनो की खातेदारी में थी, संवत् 2070 से 2073 जमाबंदी मे बिना किसी विधिक प्रकिया के केवल भूलवंश इस ग्राम के अन्य खातेदार कानगर पुत्र लुणगर के अन्य खसरो के साथ उसके नाम दर्ज कर दी। ऐसी सूरत मे राजस्व रेकर्ड मे हुई इस त्रुटि को दुरस्त किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम देवका तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 262/107 रकबा 13.00 बीघा भूमि कानगर पुत्र लूणगर एवं उसके फौत होने पर उसके वारिसान के नाम की खातेदारी से	

Scanned by CamScanner

हटाकर नखतूराम के नाम वारिसान प्रार्थी वगैरा के नाम से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।
आदेश सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:46:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: